रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-19082021-229152 CG-DL-E-19082021-229152

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 469] No. 469] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 19, 2021/श्रावण 28, 1943 NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 19, 2021/SHRAVANA 28, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रयक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त 2021

सं. 39/2021-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 581(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (i) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद् द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), भारत के राजपत्र,असाधारण के भाग II, धारा 3 के उपखंड (i) में सा.का.नि. 413(अ) दिनांक 08.05.200 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना संख्या 57/2000–सीमा शुल्क, दिनांक 08.05.2000 में आगे भी संशोधन करती है।

2. उक्त अधिसूचना में तीसरे परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक सम्मिलित करती है,यथा:-

"बशर्ते यह भी कि, उन मामलों में जहां निर्यात की अंतिम तिथि 1 फरवरी, 2021 और 30 जून, 2021 के बीच आती है, निर्यात की अंतिम तिथि छह महीने के लिए बढ़ाई जाती है"।

[फा. सं. DGEP / GnJ / 01/2021-TECH]

राजीव रंजन, अवर सचिव

4673 GI/2021 (1)

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 57/2000-सीमा शुल्क, दिनांक 08 मई,2000 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उपधारा (i) में सा.का.िन. सं. 413(अ), दिनांक 08 मई,2000 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम रूप से अधिसूचना संख्या 17/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 17 फरवरी,2021 द्वारा संशोधित किया गया एवं भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (i) में सा.का.िन. सं. 116(अ), दिनांक 17 फरवरी 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department Of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 2021

No. 39/2021 - Customs

G.S.R. 581(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 57/2000-Customs, dated the 8th May, 2000, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 413 (E), dated the 8th May, 2000, namely:-

2. In the said notification, after the third proviso, the following proviso shall be inserted, namely:"Provided also that for the cases where the last date of exports falls between the 1st February, 2021 and the 30th June, 2021, the last date of exports stands extended by six months".

[F. No. DGEP/GnJ/01/2021-TECH)]

RAJEEV RANJAN, Under Secv.

Note: The principal notification No. 57/2000-Customs, dated the 8th May, 2000 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 413(E), dated the 8th May, 2000 and was last amended by notification No. 17/2021-Customs, dated 17th February, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 116(E), dated the 17th February, 2021